सिंचाई विभाग के वास्तुकीय प्रारूपकार के पद पर लोक निर्माण विभाग के वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के समान वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर विचार।

सिंचाई विभाग के वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार)/वास्तु प्रारूपकार के पद पर लोक निर्माण विभाग के वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के समान वेतनमान अनुमन्य किये जाने से सम्बन्धित विसंगति के निराकरण हेतु वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–1788/दस–2011 दिनांक 26 सितम्बर, 2011 के माध्यम से प्रकरण विशिष्ट संदर्भ के रूप में वेतन समिति को संदर्भित किया गया।

2– विभागीय प्रस्ताव में निम्नवत अवगत कराया गया है :–

(1) उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश नियमावली 1982 के अनुसार वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश संवर्ग में वास्तुकीय प्रारूपकार पदनाम से कुल 15 पद तथा मुख्य वास्तुकीय प्रारूपकार पदनाम से 06 पद विद्यमान हैं।

(2) वास्तुकीय प्रारूपकार के पद पर वेतनमान रू0 4500–7000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 तथा मुख्य वास्तुकीय प्रारूपकार के पद पर वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य है।

(3) सिंचाई विभाग तथा लोक निर्माण विभाग में वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश संवर्ग के पदों का तुलनात्मक ढांचा निम्नानुसार है :–

सिंचाई विभाग (वेतन समिति 2008 के प्रतिवेदन में इंगित विवरण/विभागीय सेवा नियमावली 1982 के अनुसार			लोक निर्माण विभाग (वेतन समिति 2008 के प्रतिवेदन में इंगित विवरण के अनुसार)		
पदनाम	वेतनमान	भर्ती की विधि/अर्हता	पदनाम	वेतनमान	भर्ती की विधि/अर्हता
वास्तुकीय प्रारूपकार	4500–7000	सीधी भर्ती द्वारा अर्हता 1 बम्बई स्कूल ऑफ आर्टस की वास्तुशिल्प में इण्टर परीक्षा का	वास्तुविद मानचित्र कार	4500–7000	सीधी भर्ती द्वारा अर्हता (1) बम्बई/महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त वास्तु शिल्प में इण्टर–

		प्रमाण पत्र या 2 रूड़की विश्व विद्यालय का प्रारूपकार का कक्षा पाठ्यक्रम या 3 राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का प्रारूपकार कक्षा पाठ्यक्रम या 4 इंजीनियरिंग कालेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रारूपकारिता का पंचवर्षीय पाठ्यक्रम या 5 एम0एस0 विश्व विद्यालय बड़ोदरा के कला भवन की वास्तुशिल्पीय डिप्लोमा परीक्षा।			मीडिएट प्रमाण पत्र। या (2) सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक या अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त वास्तु शिल्पीय डिजाइन और नक्शा नवीश (5 वर्ष का पाठ्यक्रम) का डिप्लोमा। या (3) प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त वास्तुशिल्पीय सहायक (तीन वर्ष का) पाठ्यक्रम का डिप्लोमा या किसी अन्य राज्य द्वारा प्रदत्त उसके समकक्ष डिप्लोमा।
मुख्य वास्तविद् प्रारूपकार	5000–8000	वास्तु प्रारूपकार के पदों से पदोन्नति द्वारा	वास्तुविद सहायक	6500–10500	50 प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता जो वास्तुप्रारूपकार पद हेतु उक्तानुसार इंगित/ निर्धारित है। 50 प्रतिशत पद वास्तुविद् मान–चित्रकार के पदों से पदोन्नति द्वारा।
सहायक वास्तुविद् /लैंड स्केप वास्तुविद्	8000–13500	75 प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता वास्तुविद् अभियंत्रण में स्नातक उपाधि। 25 प्रतिशत मुख्य	सहायक वास्तुविद्	8000–13500	50 प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता वास्तुविद् अभियंत्रण में स्नातक उपाधि। 50 प्रतिशत मुख्य वास्तुविद् सहायक

		वास्तुविद् प्रारूपकार के पदों से पदोन्नति द्वारा।			के पदों से पदोन्नति द्वारा।

(4) डिप्लोमा वास्तुविद् संघ लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 द्वारा यह मांग की गयी कि वास्तुविद् मानचित्रकार, जिसके लिए शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता 03 वर्षीय डिप्लोमा है, को अवर अभियंताओं के समान रू0 4500–7000 के स्थान पर रू0 5000–8000 अनुमन्य किया जाए।

(5) लोक निर्माण विभाग के वास्तुविद् संवर्ग के सम्बन्ध में विचार करते समय समिति को विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 1984 की व्यवस्थानुसार वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश के पद के लिए निर्धारित शैक्षित अर्हता निम्नवत है :–

(i) बम्बई/महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त वास्तुशिल्प में इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र।

या

(ii) सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक या अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त वास्तुशिल्पीय डिजाइन और नक्शा नवीश (5 वर्ष का पाठ्यक्रम) का डिप्लोमा।

या

(iii) प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त वास्तुशिल्पीय सहायक (तीन वर्ष का) पाठ्यक्रम का डिप्लोमा या किसी अन्य राज्य द्वारा प्रदत्त उसके समकक्ष डिप्लोमा।

(6) संघ की उक्त मांग के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त समिति ने यह पाया कि वेतन समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा हाईस्कूल की अर्हता सहित अभियंत्रण में तीन वर्ष का डिप्लोमा की अर्हता के साथ अवर अभियन्ता के पदों पर वेतनमान रू0 5000–8000 स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के पदों की शैक्षिक अर्हता में वास्तुशिल्प सहायक पाठ्यक्रम में तीन वर्ष का डिप्लोमा के साथ वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश के पदों की अर्हतामें प्रमाण

पत्र की अर्हता भी सम्मिलित है। समिति यह पाती है कि वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के पद पर सीधी भर्ती की अर्हता में प्रमाण पत्र की अर्हता रखा जाना उपयुक्त नहीं है। भविष्य हेतु वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के पदों की शैक्षिक अर्हता वास्तुशिल्प सहायक पाठ्यकम में तीन वर्ष का डिप्लोमा ही रखी जाए और उक्त पद पर अवर अभियन्ता के समान वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य किया जाए।

(7) उपर्युक्त के कम में वेतन समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के सम्बन्ध में निम्नवत संस्तुति की गयी :–

"वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के पद पर भविष्य हेतु शैक्षिक अर्हता वास्तुशिल्प सहायक पाठ्यकम में तीन वर्ष का डिप्लोमा ही रखा जाय और उक्त पद पर अवर अभियन्ता के समान वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 तथा ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।"

वेतन समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–396/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा लोक निर्माण विभाग को आवश्यक विभागीय शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित किया गया।

3– विभागीय प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने पाया कि :–

(1) सिंचाई विभाग के वास्तुकीय प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती की अर्हता लोक निर्माण विभाग के वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के लगभग समान है। अतः सिंचाई विभाग के वास्तुकीय प्रारूपकार के पद पर लोक निर्माण विभाग की भांति शैक्षिक अर्हता वास्तुशिल्प सहायक पाठ्यकम में तीन वर्ष का डिप्लोमा रखते हुए वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन

बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जाने का औचित्य है।

(2) लोक निर्माण विभाग में वास्तुशिल्पीय नक्शा नवीश (मानचित्रकार) के पद से वास्तुविद् सहायक वेतनमान रू0 6500–10500 के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है जबकि सिंचाई विभाग में वास्तुकीय प्रारूपकार के पद से मुख्य वास्तुविद् प्रारूपकार वेतनमान रू0 5000–8000 के पद पर शत प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है। सिंचाई विभाग के वास्तुकीय प्रारूपकार के पद पर वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य कराये जाने की स्थिति में पदोन्नति के पद मुख्य वास्तु प्रारूपकार के पद पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जाने का औचित्य है।

(3) लोक निर्माण विभाग में वास्तुविद् सहायक के पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत वास्तुविद् मानचित्रकार से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था है। सिंचाई विभाग में मुख्य वास्तुविद् प्रारूपकार के पद वास्तुकीय प्रारूपकार से शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। समिति के मत से यहा औचित्यपूर्ण होगा कि सिंचाई विभाग के मुख्य वास्तुविद् प्रारूपकार के पद पर लोक निर्माण विभाग की भांति 50 प्रतिशत सीधी भर्ती लोक निर्माण विभाग के वास्तुविद् सहायक के पद पर निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखते हुए की जाए एवं 50 प्रतिशत प्रद वास्तुकीय प्रारूपकार से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएं।

(4) सिंचाई विभाग के सहायक वास्तुविद्/लैण्ड स्केल वास्तुविद् के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत पद मुख्य वास्तुविद् प्रारूपकार से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तुविदृ के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत पद वास्तुविद् सहायक से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण में वास्तुविद संवर्ग के ढ़ांचें में एकरूपता रखे जाने के दृष्टिगत सिंचाई विभाग के सहायक वास्तुविद्/लैण्ड स्केप

वास्तुविद् के पदों पर लोक निर्माण विभाग की भांति 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का औचित्य है।

समिति की संस्तुतियां

4— सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियां निम्नवत हैं :—

(1) सिंचाई विभाग के वास्तुकीय प्रारूपकार के पद पर शैक्षिक अर्हता वास्तुशिल्प सहायक पाठ्यक्रम में तीन वर्ष का डिप्लोमा रखते हुए वेतनमान रू0 5000—8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड—2 रू0 9300—34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(2) मुख्य वास्तुविद् प्रारूपकार के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 5000—8000 सादृश्य वेतन बैण्ड—2 रू0 9300—34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड—2 रू0 9300—34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(3) सिंचाई विभाग के मुख्य वास्तुविद् प्रारूपकार के पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती लोक निर्माण विभाग के वास्तुविद् सहायक के पद पर निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखते हुए की जाए एवं 50 प्रतिशत प्रद वास्तुकीय प्रारूपकार से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएं।

(4) सिंचाई विभाग के सहायक वास्तुविद्/लैण्ड स्केप वास्तुविद् के पदों पर लोक निर्माण विभाग की भांति 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएं।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(संजीव मित्तल)
सदस्य।

(आलोक रंजन)
सदस्य।

(एस0ए0टी0 रिज़वी)
अध्यक्ष।

लखनऊ
नवम्बर , 2011